

इ-ट्राज सुमावत/भूमिधारी
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
COMJ- 2022/144

नंबर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की
तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। जायेंभाषक सभ
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली एवं आदेशानुसार
दिनांक 15/07/2025 को पेश हो।

15/07/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0। प्रकरण में
बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली
पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार
नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन
किया गया एवं बहस वकील प्रार्थीगण पर सगौर मनन
किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट वर्तमान
खाता संख्या 11 अवस्थित ग्राम मावंडा कलां की
अर्वाचीन व प्राचीन जमाबंदियों में कोई भिन्नता नहीं
पाए जाने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
एलआर एक्ट तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट के
आधार पर स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाने
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे
हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना